



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

आदेश संख्या: SHSB/GA/HR/4752/2020/.....7066

पटना, दिनांक: 05/01/2021

-: आदेश :-

विज्ञापन संख्या 01/2020 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Cold Chain Technician के संविदागत रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से क्रमशः एकमुश्त मानदेय ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० (1)	Application No. (2)	अभ्यर्थियों का नाम (3)	चयनित कोटि (4)	पदस्थापन स्थल (5)
1.	CCTE01776	SHAHIL ARSHALAN	UR	SIWAN
2.	CCTE03475	GAURAV KUMAR	UR	BHOJPUR
3.	CCTE02986	SANTOSH KUMAR PANDIT	UR	MADHEPURA
4.	CCTE05158	PRADIP GUPTA	UR	SHEOHAR
5.	CCTE00045	ADITYA KUMAR PANDEY	UR	GOPALGANJ
6.	CCTE03018	VIPIN KUMAR	UR	JEHANABAD
7.	CCTE01599	MANTU PATEL	UR	WEST CHAMPARAN
8.	CCTE01056	KAUSHAL KUMAR	BC	SHEIKHPURA
9.	CCTE03893	ABHISHEK KUMAR	SC	BUXAR
10.	CCTE04278	RAHUL KUMAR	MBC	LAKHISARAI
11.	CCTE01639	GAUTAM KUMAR	BC	KATI HAR
12.	CCTE04434	RANAPRATAP KUMAR	MBC	SUPAUL
13.	CCTE05100	MANJESH KUMAR THAKUR	MBC	SAMSTIPUR
14.	CCTE00800	SANJAY KR MAHATO	MBC	MUNGER
15.	CCTE03151	AMAN KUMAR VERMA	ST	SITAMARHI
16.	CCTE00838	PUSHPENDRA KUMAR	SC	KAIMUR
17.	CCTE02678	RAJESH KUMAR	SC	ARARIA
18.	CCTE01822	PRERNA BHARTI	UR	ROHTAS
19.	CCTE04375	JULI KUMARI	UR	BEGUSARAI
20.	CCTE04944	MD AMIRUL ISLAM	EWS	BHAGALPUR
21.	CCTE03968	AMRITA KUMARI	UR	NAWADA
22.	CCTE05210	SUJATA KUMARI	UR	ARWAL
23.	CCTE02920	SANJAY KUMAR	SC	VAISHALI
24.	CCTE00289	RAVI SHANKAR KATYAYAN	EWS	MADHUBANI
25.	CCTE04541	BABITA KUMARI	UR	KHAGARIA
26.	CCTE03425	AMIT ANAND	EWS	BANKA
27.	CCTE04532	PANKAJ KUMAR MISHRA	UR-PH	EAST CHAMPARAN
28.	CCTE04346	MANITA KUMARI	UR	JAMUI
29.	CCTE04255	PRIYANKA KUMARI	BC	NALANDA

पृष्ठ | 1

Signature



2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- i) दिनांक 21 जनवरी, 2021 तक उपरोक्त अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित पदस्थापन जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- ii) संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। योगदान के समय अपना सभी वांछित मूल प्रमाण-पत्र संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष समर्पित करेंगे। जहाँ सभी मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायगी। जाँचोपरान्त कोई त्रुटि/गलती पाये जाने पर अभ्यर्थिता माप्त कर दी जायेगी।
- iii) योगदान के पश्चात् ₹1,000/- Non Judicial स्टाम्प पेपर पर राज्य स्वास्थ्य समिति (सक्षम प्राधिकार) के साथ एकरारनामा करेंगे।
- iv) यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- v) यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के स्तर से किया जा सकेगा।
- vi) चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
- vii) पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- viii) उक्त अभ्यर्थियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जाएगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- ix) नवनियोजित Cold Chain Technician को एकमुश्त मानदेय ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) से किया जाएगा।

3. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद उन्हें कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



उपलब्ध करायी जा सकें। उक्त अनुपालन की सूचना/प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(मनोज कुमार)


कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक : SHSB/GA/HR/4752/2020/.....7066 पटना, दिनांक:.....05/01/2021

प्रतिलिपि:-

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, RI, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेशित है कि वे अपना योगदान संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को ससमय समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।



कार्यपालक निदेशक

